तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2024	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थीगण एंव पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 22/12/24 सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04 22/12/24 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 04	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 154/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/112**
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. भागी पत्नी मेवे खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी
2. रहीम खां पुत्र मेवे खां जाति मुसलमान निवासी रोला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमं, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 3/1582 रकबा 4.0469 हैक्टेयर सरहद मौजा रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा संलग्ल नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थीगण ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है लेकिन वर्तमान में सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्व है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र सहमति नहीं दी है। इसिलये ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 3/1582 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 3/1582 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 3/1582 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का बारू की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रोला पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 3/1582 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का बारू की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)